8.1.18

प्रार्थीगण व उक्त अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। वाद में अंतिम तारीख में खारिज किया जा चुका है। प्रा.प. के तदनुसार अंतिम तारीख अवश्य पेरवी में दाखिल दफ्तर किया जाता है। परन्तु बिना वादकारी के आवेदन के अपील खारिज नहीं की जाती।

Scanned by CamScanner